



निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 20.10.2022 को कैमूर जिलान्तर्गत NH 219 (मोहनियाँ- भभुआ- चैनपुर- यू. पी. बोर्डर तक) 40.46-46.80 कि. मी. तक पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु वृक्षों के पातन/ पुनर्स्थापन में प्रभावित होने वाले/ Transplant किये जाने वाले/ पातित किये जाने वाले वृक्षों का गणना पत्रक (Tree Protection) के करने में बाधक वृक्षों के विस्थापन/ पुनर्स्थापन/ पातन के संबंध में Online हुई बैठक का कार्यवाही:-

कैमूर जिलान्तर्गत NH 219 (मोहनियाँ- भभुआ- चैनपुर- यू. पी. बोर्डर तक) 40.46-46.80 कि. मी. पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु वृक्षों के पातन/ पुनर्स्थापन में प्रभावित होने वाले वृक्षों के स्थानान्तरण का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्राप्त हुआ है। समर्पित प्रस्ताव के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 03 सह पठित झापांक 673 दिनांक 01.09.2019 द्वारा गठित समिति से निर्णय कराने का अनुरोध किया गया है।

संलग्न प्रस्ताव में कैमूर जिलान्तर्गत NH 219 (मोहनियाँ- भभुआ- चैनपुर- यू. पी. बोर्डर तक) 40.46-46.80 कि. मी. पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु वृक्षों के पातन/ पुनर्स्थापन में प्रभावित होने वाले कुल 226 वृक्षों की गणना की गई है, जिसमें 90 वृक्षों के पातन तथा 136 वृक्षों का पुनर्स्थापन का प्रस्ताव है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

Sl. No.	Location	Tree marked to be translocated	Trees marked to be felled	Trees marked left as it is	Total Trees
1	Right Side	53	39	0	92
2	Left Side	83	51	0	134
Total:-		136	90	0	226

वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि :-

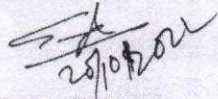
1. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 136 जीवित वृक्षों का पुनर्स्थापन स्वयं के व्यय पर चिन्हित स्थल पर किया जायेगा एवं अगले तीन वर्षों तक इसका रख-रखाव कार्य किया जायेगा।
2. पातित किये जाने वाले 90 वृक्षों के पुनर्स्थापन के फलस्वरूप जीवित रहने की संभावना नहीं है अतः इन 90 वृक्षों के पातन का निर्णय लिया गया।
3. पातित वृक्षों के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा राशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिये प्राकलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वन संरक्षण के इस प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नियमानुसार NPV, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, वृक्षों के पुनर्स्थापन पर व्यय एवं काष्ठ हथालन की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त निर्णय के साथ बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

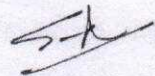

(प्रकाश प्रकाश)
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ


(संजय प्रकाश)
वन संरक्षक,
वन्यप्राणी अंचल, पटना


(रामेन्द्र सिंह)
निदेशक, पारि. एवं पर्या.

ज्ञापांक:— पारि. एवं पर्या. 01 स्था. (वन भूमि एवं सरकारी गैर भूमि) 11/19-1588 दिनांक: 07.11.2022

प्रतिलिपि— प्रयोक्ता एजेन्सी की अतिरिक्त प्रति के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पत्र की प्रति अपने स्तर से प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करा दें तथा प्रस्ताव की सभी कंडिकाओं पर अनुपालन उच्चस्तरों को उपलब्ध करायेंगे।


निदेशक, पारि. एवं पर्या.

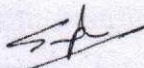
ज्ञापांक:— पारि. एवं पर्या. 01 स्था. (वन भूमि एवं सरकारी गैर भूमि) 11/19-1588 दिनांक: 07.11.2022

प्रतिलिपि— वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक, पारि. एवं पर्या.

ज्ञापांक:— पारि. एवं पर्या. 01 स्था. (वन भूमि एवं सरकारी गैर भूमि) 11/19-1588 दिनांक: 07.11.2022

प्रतिलिपि— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक, पारि. एवं पर्या.